न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

जी. ई.

डायरी संख्या 853/2013 ओमनी ?/ सार टिप्पणी (क्रमिक)

10/6/2022	पत्रावली आज दिनांक 10/6/22 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कम्पोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/7/22 को पेश होवे।
11/7/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 आज भी अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 ने दिनांक 12/5/2021 से बहस अथवा लिखित बहस पेश नहीं की है। अतः अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या-1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी अधिवक्ता की लिखित बहस व बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/7/2022 को पेश हो।
11/7/22	सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर
19/7/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात साक्ष्य से साबित नहीं कर पाये अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया ... शामिल ... शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 253/2016 वाद प्रस्तुति दिनांक – 23.10.2013

सोहनी देवी उर्फ सोनी देवी पत्नी कल्याण पुत्री स्वर्गीय श्री लालाराम जाति– जाट निवासी– यादवखेड़ा, ब्यासों की ढाणी, ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादीया

बनाम

1. ईसरा पुत्र स्वर्गीय श्री लालाराम
2. कमली देवी पत्नी रामनाथ
3. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी रामेश्वर
4. धन्नालाल पुत्र सुखाराम
5. भागचन्द पुत्र सुखाराम

   समस्त जाति जाट निवासीयान– ग्राम साहिबरामपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

6. सब रजिस्ट्रार, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राजस्थान)
7. तहसीलदार, तहसील –आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, रद्द किये जाने विक्रय पत्र स्थाई निषेधाज्ञा
तकासमा, एवं दुरूस्त किये जाने इन्द्राज
अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:16 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

(1) श्री भवानी सिंह बराला, अधिवक्ता वादीया की ओर से

(2) प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

दिनॉकः– 19.07.2022

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बरान 211 रकबा 0.11 है0, 212 रकबा 0.15 है0, 213 रकबा 0.57 है0, 214 रकबा 0.36 है0, 217 रकबा 0.26 है0, 218 रकबा 0.24 है0, 219 रकबा 0.04 है0, 282 रकबा 0.01 है0, 283 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 284 रकबा 1.33 है0, 285 रकबा 0.01 है0, 286 रकबा 0.10 है0, 287 रकबा 1.71 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई बहन है। वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या एक के पिता श्री लालाराम ने उपरोक्त आराजी कुल किता 13 रकबा 5.33 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/2 स्वउपार्जित धन से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा गत 15–20 वर्षों से अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे। शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बहेसियत सहकाश्तकार काबिज है। वादिनी व प्रतिवादी के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा नहीं हुआ है। उपरोक्त संपूर्ण आराजीयात हिस्सा 1/2 का नामान्तरकण प्रतिवादी संख्या सात से सांठ–गांठ कर अपने हक में खुलवा लिया। जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार नही था। प्रतिवादी संख्या 1 ने न सिर्फ प्रतिवादी संख्या 7 से सांठगांठ कर स्वयं के नाम नामान्तकरण कराया, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 6 के यहां से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में स्व0 श्री लाला राम द्वारा छोडी गई संपूर्ण आराजी बिला बटा हिस्सा 1/2 बाबत गलत गैर कानूनी रूप से स्वयं की बताकर विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र वादग्रस्त संपत्ति में वादिनी के हिस्से 1/2 में से हिस्सा 1/2 की सीमा तक शून्य एंव प्रभावहीन घोषित किया जाकर रदद किया जावे। वादिनी संपूर्ण वादग्रस्त संपत्ति का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा कराने की अधिकारी है।

वादीया ने अपने दावे के समर्थन में दस्तोवज साक्ष्य में फोटो नकल नक्शा ट्रेस, प्रमाणित प्रतिवादी जमाबंदी खतौनी 2069 से 2072, प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र वहब, प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र वहक प्रस्तुत किया है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 बावजूद [illegible] अ[illegible]थित रहने से दिनांक 22.09.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] जवाब पेश नही किया तथा दिनांक 20.08.2017 को जवाब का अवसर बन्द किया गया।

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादीया पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत किये।

1. PW1 सोहनी देवी उर्फ सोनी देवी निवासी खन्नीपुरा तहसील आमेर जयपुर
2. PW2 विनोद कुमार चौधरी निवासी यादवखेडा तहसील आमेर जिला जयपुर
3. PW3 प्रहलाद कुमार निवासी झोटवाडा जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित रहने से दिनांक 11.07.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही गई तथा वादीया अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की तथा एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान 211 रकबा 0.11 है0 212 रकबा 0.18 है0 213 रकबा 0.57 है0 214 रकबा 0.36 है0 217 रकबा 0.26 है0 218 रकबा 0.74 है0 219 रकबा 0.04 है0 282 रकबा 0.01 है0 283 रकबा 0.46 हैक्टेयर 284 रकबा 1.33 है0 285 रकबा 0.01 है0 286 रकबा 0.10 है0 287 रकबा 1.71 हैक्टेयर वाके ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर मे प्रतिवादी दूसरा का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित है वो रिकॉर्डेड खातेदार है तथा हिस्से अनुसार ही भूमि विक्रय किया है। वादिया ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किये जिससे साबित हो कि भूमि पैतृक हो। प्रतिवादी संख्या 1 ने जमाबंदी मे अंकित हिस्से अनुसार भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.08.2013 को विक्रय कर दी है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को भी वादीया ने आज दिनांक किसी सिविल न्यायालय मे चेलेन्ज नही किया है तथा वाद मे पैतृक सम्पत्ति होने हेतु कोई साक्ष्य पेश नही किये है। ऐसी स्थिति मे वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन मे दस्तावेज साक्ष्य से साबित नही कर पाये अतः वाद साक्ष्य के अभाव मे अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 253/2016 वाद प्रस्तुति दिनांक – 23.10.2013

सोहनी देवी उर्फ सोनी देवी पत्नी कल्याण पुत्री स्वर्गीय श्री लालाराम जाति– जाट निवासी– यादवखेडा, व्यासों की ढाणी, ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादीया

बनाम

1. ईसरा पुत्र स्वर्गीय श्री लालाराम
2. कमली देवी पत्नी रामनाथ
3. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी रामेश्वर
4. धन्नालाल पुत्र सुखाराम
5. भागचन्द पुत्र सुखाराम

   समस्त जाति जाट निवासीयान– ग्राम साहिबरामपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. सब रजिस्ट्रार, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राजस्थान)
7. तहसीलदार, तहसील –आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, रदद किये जाने विक्रय पत्र स्थाई निषेधाज्ञा तकासमा, एवं दुरूस्त किये जाने इन्द्राज अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीया द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य से साबित नही कर पाये अतः वाद साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 19.07.2022 को जारी किया ।

दस्तखत——
[illegible]

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			[illegible]		
बबत इजराय हुक्मानामा			बबत इजराय [illegible]		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			[illegible]		

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:16 IST
Reason: SelfAttested